

रिपोर्ट पटवारी हल्का/आई0एल0आर0
आवेदन पत्र को सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार
प्रार्थी द्वारा कानून राजस्व रिपोर्ट के सम्बन्ध में महासूची में दर्ज की जा चुकी है।
पान्डु पहचान पत्र शहर में दर्ज का न होने की वजह से नगर सुदेरगिड का महासूची में दर्ज नहीं
करा जा सका है। नगर राजस्व रिपोर्ट में सुदेरगिड का महासूची में दर्ज किया जाना
रिपोर्ट पटवारी व सरपंच के सम्बन्ध में तहसीलदार उदयपुरवाटी/गुढागौडजी
पत्र में अमल दरासद के आदेश दिये जाते हैं।
दिनांक - 7/1/2021

मूल में उपखण्ड अधिकारी यदोदय उदयपुरवाटी जिला प्रशासन ललिते यनाम

संज्ञक है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक को ज्ञान की सुविधा की जाती है / नहीं

उपरोक्त विषय जाना प्रविष्ट है
दिनांक - 7/1/2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरासद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्वत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व. रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	डुडिमा	2075-78	492	समसूची में दर्ज महासूची में दर्ज 18/44	सुदेरगिड का महासूची में दर्ज करा जा चुका है। 18/44

नोट :-शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी
दिनांक :- 7/1/2021

क्रमांक :- राजस्व/2020/ 2063
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौडजी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीयाको सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी